

30 जून 2023

संदर्भ सं. राब्रैं.डॉर/ 402/ एलटी नीति-9/ 2023-24 परिपत्र सं. 143/ डॉर - 26/ 2023

प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी नैबफिन्स/ नैबसमृद्धि/ नैबकिसान

महोदया/ महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के	Operational Guidelines for
अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु	Schematic Lending under Long
परिचालन दिशानिर्देश - नाबार्ड की सहायक	Term Refinance for F.Y 2023-24 -
कंपनियाँ	Subsidiary Companies of NABARD
वर्ष 2023-24 के लिए नाबार्ड की सहायक कंपनियों हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के परिचालन दिशानिर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं. नाबार्ड की सहायक कंपनियों के पुनर्वित्त आवेदनों का निपटान पुनर्वित्त विभाग, नाबार्ड प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाएगा.	The operational guidelines for LT refinance for the year 2023-2024 for NABARD Subsidiary Companies is enclosed herewith. The refinance applications of NABARD Subsidiary Companies shall be dealt with by DoR, NABARD Head Office.
 ये दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट	2. These guidelines are also available on
<u>www.nabard.org</u> के 'सूचना केंद्र' में भी	NABARD website www.nabard.org
उपलब्ध हैं.	under the tab information Centre.
3. कृपया पावती दें.	3. Please acknowledge receipt.

भवदीय

चिर्वक सिन्हा

(विवेक कृष्ण सिन्हा) मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: 16 पृष्ठ

गाँव बढ़े >>तो देश बढ़े

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development_

पुनर्वित विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.• Tel.: +91 22 2652 4926• Fax : +91 22 2653 0090• E-mail : dor@nabard.org

www.nabard.org





मुख्य प्रलेख/ MAIN DOCUMENT

प्रलेख शीर्षक/ Document Title	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ Operational Guidelines for Schematic
	Lending under Long Term Refinance for FY2023-24 - Subsidiary Companies of
मसौदा तैयार किया गया (विभाग)/	NABARD पुनर्वित्त विभाग
Drafted By (Dept.)	Department of Refinance
तिथि/	30 जून 2023
Date	30 June 2023
प्रलेख वर्गीकरण (आंतरिक/बाह्य)/	बाह्य
Document Classification (I/E)	External
प्रलेख संख्या/ संस्करण संख्या/	संस्करण 4.0 (2023-24)
Document No./ Version No.	Version 4.0 (2023-24)

संस्करण का इतिहास/ Version History

संस्करण	वित्तीय	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ /	द्वारा
संख्या/	वर्ष/	Changes/Comments	परिवर्तित/
Version	FY		Changed
No.			by
1.0	2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण	पुनर्वित्त विभाग
		के लिए पुनर्वित्त नीति: नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ	Department
		Refinance Policy for Schematic Lending for	of Refinance
		FY2020-21: Subsidiaries of NABARD	
2.0	2021-22	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण	पुनर्वित्त विभाग
		के लिए पुनर्वित्त नीति: नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ	Department
		Refinance Policy for Schematic Lending for	of Refinance
		FY2021-22: Subsidiaries of NABARD	
3.0	2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के	पुनर्वित्त विभाग
		अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन	Department
		दिशानिर्देश - नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ	of Refinance
		Operational Guidelines for Schematic	
		Lending under Long Term Refinance for	
		FY2022-23 - Subsidiary companies of	
		NABARD	
4.0	2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के	पुनर्वित्त विभाग
		अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन	Department
		दिशानिर्देश - नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ	of Refinance





Operational Guidelines for Schematic
Lending under Long Term Refinance for
FY2023-24 - Subsidiary companies of
NABARD

संस्करण का अनुमोदन/ Version Approval

संस्करण	अनुमोदन की	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ /	द्वारा
संख्या/	तिथि।	Changes/Comments	अनुमोदित/
Version	Date of		Approved
No.	Approval		by
1.0	13.04.2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति: नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ Refinance Policy for Schematic Lending for FY2020-21: Subsidiaries of NABARD	अध्यक्ष/ Chairman
2.0	07.04.2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति: नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ Refinance Policy for Schematic Lending for FY2021-22: Subsidiaries of NABARD	अध्यक्ष/ Chairman
3.0	19.04.2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for FY2022-23 - Subsidiary companies of NABARD	अध्यक्ष/ Chairman
4.0	30.06.2023	वित्तीय वर्षे 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for FY2023-24 - Subsidiary companies of NABARD	अध्यक्ष/ Chairman





संदर्भ/ References

संस्करण संख्या/	अनुमोदन की तिथि/	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ / Changes/Comments	द्वारा अनुमोदित/
Version	Date of	changes/ comments	Approved
No.	Approval		by
1.0	13.04.2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति: नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ Refinance Policy for Schematic Lending for FY2020-21: Subsidiaries of NABARD	अध्यक्ष/ Chairman
2.0	07.04.2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति: नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ Refinance Policy for Schematic Lending for FY2021-22: Subsidiaries of NABARD	अध्यक्ष/ Chairman
3.0	19.04.2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for FY2022-23 - Subsidiary companies of NABARD	अध्यक्ष/ Chairman
4.0	30.06.2023	वित्तीय वर्षे 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for FY2023-24 - Subsidiary companies of NABARD	अध्यक्ष/ Chairman





वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण - परिचालन दिशानिर्देश Schematic Lending for FY 2023-24 - Operational Guidelines

1. प्रस्तावना Introduction

नाबार्ड अपनी सहायक कंपनियों को, नामतः नैबसमृद्धि, नैबफिन्स और नैबकिसान को कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में पात्र गतिविधियों के लिए ऋण सहायता प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है. NABARD provides refinance to its subsidiary companies viz. NABSAMRUDDHI, NABFINS and NABKISAN to extend credit support to eligible activities in agriculture and rural development sector.

2. उद्देश्य Objectives

दीर्घावधि पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

The objectives of providing long-term refinance are as under:

- क) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में पूँजी निर्माण के लिए सहायता देना.
 Supporting capital formation in agriculture and allied activities.
- ख) भारत सरकार और नाबार्ड की बल क्षेत्र की गतिविधियों के संवर्धन हेतु ऋण प्रवाह को दिशा देना. Directing the flow of credit for the promotion of thrust activities of GoI and NABARD.
- ग) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना.

Meeting the credit requirement of JLGs and SHGs.

 घ) कृषीतर क्षेत्र की गतिविधियों (जैसे एमएसएमई, ग्रामीण आवासन और वाणिज्यिक वाहन) को सहायता देना.

Support for non-farm sector activities such as MSME, Rural Housing & Commercial Vehicle.

ङ) जलवायु अनुकूलन और शमन की परियोजनाओं को सहायता देना.

Support for Climate Adaptation and Mitigation projects

 च) भारत सरकार की ऋण से जुड़ी ऐसी पूँजी सब्सिडी योजनाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता जिनकी सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से दी जाती है.

Support for credit linked capital subsidy schemes of GoI, whose subsidy is channelized through NABARD.

सहायता का स्वरूप Nature of Accommodation





बैंकों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु संवितरण के समक्ष पुनर्वित्त सहायता निम्नलिखित दो प्रकार से प्रदान की जाती है:

Refinance assistance is provided against disbursements, for various purposes under the following two windows:

3.1 पूर्व-मंजूरी Pre-Sanction

पूर्व मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत सहायक कंपनियाँ विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को नाबार्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करके पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं. नाबार्ड इन परियोजनाओं की तकनीकी साध्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और बैंक योग्यता का निर्धारण करने हेतु यथोचित मूल्यांकन के बाद पुनर्वित्त मंजूर करेगा. Subsidiaries can avail refinance under the pre-sanction procedure by submitting Detailed Project Reports for the approval of NABARD. NABARD shall sanction the refinance after due appraisal to determine the projects technical feasibility, financial viability and bankability.

3.2 स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़) Automatic Refinance Facility (ARF)

स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ) एजेंसियों द्वारा पूर्व-मंजूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना अपने स्तर पर प्रस्तावों का मूल्यांकन के पश्चात् उधारकर्ता का वित्तपोषण करके नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. वे आहरण आवेदन के आधार पर नाबार्ड से पुनर्वित्त का दावा कर सकते हैं, जिसमें ऋण संवितरण के बाद विभिन्न उद्देश्यों को इंगित करते हुए पुनर्वित्त का दावा किया गया हो. ऐसे मामलों में नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की मंजूरी और संवितरण एक साथ किया जाता है. कृषि क्षेत्र (एफएस) और कृषीतर क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की पात्र परियोजनाओं के लिए कुल वित्तीय परिव्यय, बैंक ऋण अथवा पुनर्वित्त की प्रमात्रा की किसी उच्चतम सीमा के बिना स्वचालित पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है.

Automatic Refinance Facility (ARF) enables the agencies to obtain financial accommodation from NABARD, without going through the pre-sanction process by appraising the proposals at their level and financing the borrower. They may claim refinance from NABARD on the basis of a drawal application, indicating various purposes for which refinance is being claimed after the loan is disbursed. In such cases, the sanction and disbursement of refinance are attended to simultaneously by NABARD. Automatic Refinance Facility is extended without any upper ceiling of Total Financial Outlay, Bank Loan or Quantum of Refinance, for all eligible projects under Farm Sector (FS) and Off-Farm Sector.

4. पुनर्वित्त की प्रमात्रा Quantum of refinance





- क) अनुबंध में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी बल क्षेत्रों के लिए 95%; 95 % for all thrust areas as indicated in the Annexure;
- ख) अन्य सभी विविध प्रयोजनों के लिए 90%. 90% for all other diversified purposes.

भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार संचयी आधार पर एक्सपोजर जोखिम का ध्यान रखने की दृष्टि से कुल बकाया पुनर्वित्त सहायक कंपनियों द्वारा दिए गए अर्जक ऋणों की प्रमात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए.

To take care of exposure risk on cumulative basis, the total refinance outstanding should not be more than the quantum of performing loans held by the subsidiaries, as per the latest RBI guidelines.

5. पात्रता मानदंड Eligibility criteria

नाबार्ड से पुनर्वित्त के आहरण के लिए पात्रता मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं :

Eligibility criteria for drawal of refinance from NABARD is reviewed from time to time. The eligibility criteria for the year 2023-24 is as under:

5.1 पंजीकरण: संस्था के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1अ के अधीन अनुमोदित वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए.

Registration: Should have a certificate of registration under Sec. 45-IA of the RBI Act, 1934 to function as an approved financial institution.

5.2 सीआरएआर: 31 मार्च 2023 की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात का पालन किया जाना चाहिए जो वर्तमान में 15% है.

CRAR: Should maintain minimum capital adequacy ratio as stipulated by RBI from time to time (at present it is 15%) as on 31.03.2023.

5.3 निवल लाभ: पिछले चार वित्तीय वर्ष में से कम-से-कम तीन वर्ष (2019-2020, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में से 3 वित्तीय वर्ष) के दौरान निवल लाभ में हो.

Net Profit: Should be in Net Profit for at least three out of the preceding four financial years (3 financial years out of 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023).

5.4 निवल अनर्जक आस्तियां: 31 मार्च 2023 की स्थिति में 4% से अधिक न हों. **Net NPA:** Should not exceed 4% as on 31.03.2023.





5.5 संस्था के ज्ञापन पत्र में नाबार्ड जैसी उच्चतर वित्तीय एजेंसियों सहित अन्य वित्तीय एजेंसियों से उधार लेने के लिए प्रावधान होना चाहिए.

The Memorandum of Association should have a provision for borrowing from other financing agencies including higher financing agencies like NABARD.

5.6 31.03.2023 के बाद वित्तीय मापदंडों में कोई भी बदलाव चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उचित प्रमाणीकरण के बाद एजेंसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर संशोधित पात्रता हेतु मान्य होगा. Any change in the financial parameters after 31.03.2023 will be considered for revised eligibility based on the financials of the agency after due certification by a Chartered Accountant.

6. पात्र गतिविधियाँ Eligible activities

6.1 पात्र गतिविधियों की सूची अनुबंध में दी गई है. यह सूची केवल निदर्शी है, सम्पूर्ण नहीं. List of eligible activities are furnished in Annexure. The list is only illustrative and not exhaustive.

6.2 उक्त सूची में जिन गतिविधियों का उल्लेख नहीं किया गया है और यदि वे कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन को सुगम बनाती हैं तो वे पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं. आहरण आवेदन की तिथि की स्थिति में, कंपनी की बहियों में बकाया वे ऋण पुनर्वित्त के पात्र हैं जिनकी शेष बची परिपक्वता अवधि 18 माह से अधिक है.

Activities not mentioned above but which facilitate the promotion of agriculture and rural development are eligible for refinance assistance. Eligible loans outstanding in the books of the company with residual maturity period of more than 18 months as on the date of drawal application are eligible for refinance.

6.3 नाबार्ड को अंतर्निहित आस्ति समूह प्रस्तुत करने से पहले पात्रता, खातों के दोहराव से बचने, अंतिम उपयोगकर्ता के केवाईसी, शेष बची हुई परिपक्वता अवधि, संवितरण की तारीख और ऋण की चुकौती आदि के संबंध में अंतर्निहित आस्ति समूह की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए.

Due diligence of the underlying asset pool as regards to eligibility, avoiding duplication of accounts, KYC of the end user, residual maturity, date of disbursement and repayment of the loan, etc. may be undertaken before submission of the pool to NABARD.

 निधीयन के लिए निबंधन और शर्तें Terms and conditions for funding





नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक नियम और शर्तें लागू होंगी. सहायक कंपनियों, नामतः नैबसमृद्धि, नैबफिन्स और नैबकिसान द्वारा पुनर्वित्त के निबंधनों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल पर सत्यापन/ स्वयं अपने अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा जाँच का अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित रहेगा. नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता से सृजित आस्तियों का अनुप्रवर्तन नमूना आधार पर भी कर सकता है. Standard terms and conditions as prescribed by NABARD from time to time will be applied. NABARD reserves the right to conduct spot verification / checks either by itself or through its authorised agencies to ensure that terms and conditions of refinance are adhered to / complied with by the subsidiary companies viz. NABSAMRUDDHI, NABFINS and NABKISAN. NABARD may also conduct monitoring, on a sample basis, of the assets created out of refinance assistance.

7.1 पुनर्वित्त पर ब्याज Interest on refinance:

पुनर्वित्त की ब्याज दर का निर्धारण नाबार्ड करेगा और यह समय-समय पर इसमें संशोधन के अधीन है. The interest rates on refinance will be decided by NABARD and is subject to revision from time to time.

7.2 दंडात्मक ब्याज Penal Charges:

चूक की स्थिति में, चूक की अवधि के लिए चूक की राशि पर 2.00% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा.

In the event of default, penal charges of 2.00% p.a, will be charged on the defaulted amount for the period of default.

7.3 अवधि-पूर्व भुगतान के लिए सुविधा प्रभार Pre-payment facilitation charges:

अवधि-पूर्व चुकौती की स्थिति में सुविधा प्रभार 2.50% प्रति वर्ष होगा. यह प्रभार अवधि-पूर्व चुकौती की तिथि से चुकौती की वास्तविक देय तिथि तक की पूर्ण अवधि हेतु प्रत्येक देय किस्त के लिए अलग-अलग प्रभारित किया जाएगा. न्यूनतम अवधि 6 माह होगी. न्यूनतम 3 कार्य दिवसों का नोटिस देने के बाद ही अवधि-पूर्व चुकौती शुरू किया जा सकता है. तथापि, यदि समय-पूर्व चुकौती की स्थिति वास्तविक वसूलियों के कारण उत्पन्न हो, तो नाबार्ड की सहायक कंपनीओं को अवधि-पूर्व भुगतान पर दंड से छूट देने पर विचार किया जाएगा.

डिमांड नोटिस जारी होने के बाद किए गए चुकौती के लिए अवधि-पूर्व चुकौती सुविधा शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

The rate of pre-payment facilitation charges will be 2.50% p.a. and will be chargeable for each instalment due separately for the entire period from the date of pre-payment





to the date on which the instalment is actually due for payment with a minimum period of 06 months. The prepayment can only be initiated after giving a minimum notice of 3 working days. However, in case the prepayment is out of genuine recoveries, the benefit of waiver of pre-payment penalty will be considered to the subsidiaries of NABARD.

Prepayment facilitation charges will not be levied for payments made after issuance of demand notice.

8. चुकौती अवधि Repayment Period

ऋण की अवधि 18 माह से अधिक होगी. पुनर्वित्त के मूलधन और ब्याज की चुकौती तिमाही आधार पर की जाएगी जिसमें मूलधन की देय तिथि 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च होगी और ब्याज की देय तिथि 01 जुलाई, 01 अक्तूबर, 01 जनवरी और 01 अप्रैल होगी. मूलधन की पहली देय तिथि पुनर्वित्त जारी होने के बाद की तिमाही होगी. अनुमोदित चुकौती अनुसूची मंजूरी पत्र (पत्रों) में निर्दिष्ट की जाएगी.

The loan would be for tenor of above 18 months. The due date for repayment of principal and interest will be **quarterly with due dates for principal on 30 June, 30 Sep, 31 Dec and 31 March** and due dates for interest on 1 July, 1 October, 1 January and 1 April. The first due date of principal would be the quarter following the release of refinance. The approved repayment schedule will be specified in the letter(s) of sanction.

9. प्रतिभूति Security

प्रतिभूति मानदंड निम्नानुसार हैं: The security norms are as under:

- क) नाबार्ड के साथ सामान्य पुनर्वित्त करार (जीआरए) का निष्पादन. Execution of General Refinance Agreement (GRA) with NABARD.
- ख) प्रमुख बैंकर के पास रखे गए चालू खाते को नामे करने से संबंधित अधिदेश, जो प्रमुख बैंकर द्वारा विधिवत् प्राधिकृत हो. Mandate to debit the Current Account with the principal banker which is duly authorized by the principal banker.
- ग) नाबार्ड की सहायक कंपनीओ द्वारा दिए गए ऋणों के समक्ष प्रदान किए गए पुनर्वित्त के लिए उनके द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों को नाबार्ड की अमानत के रूप में अपने पास रखना. Securities obtained for the loans covered by refinance, to be held by the Company in trust, for NABARD.





E) बोर्ड संकल्प या बोर्ड की उप-समिति का संकल्प जिसमें एजेंसी की उधार लेने की शक्तियाँ, नाबार्ड से उधार लेने का प्राधिकार, नमूना हस्ताक्षर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और एक प्रमाण पत्र नाबार्ड को प्रस्तुत किया जाना है जो यह पुष्टि करता है कि नाबार्ड से प्राप्त मौजूदा उधार एजेंसी की समग्र उधार सीमा के भीतर है. Board resolution or the resolution of the sub-committee of the Board indicating the borrowing powers of the agency, authority to borrow from NABARD, authorised signatory list with specimen signatures and a certificate confirming that the current borrowing from NABARD is within

the overall borrowing limit of the agency.

10. परियोजनाओं का पूर्व-लेखापरीक्षण, अनुप्रवर्तन तथा पर्यवेक्षण Pre-Audit, Monitoring and supervision of projects

नाबार्ड को स्वयं या किसी अन्य संस्था (उधारकर्ता के खर्च पर) के माध्यम से सहायक कंपनीओं की बहियों और अन्य संबंधित सामग्री की विशेष लेखापरीक्षा करने या करवाने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका रखरखाव वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जा रहा है और पुनर्वित्त के नियम व शर्तों का पालन किया जा रहा है.

नाबार्ड को यह अधिकार भी होगा कि वह स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से मौके पर सत्यापन/जाँच करे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्वित्त से संबंधित निबंधनों और शर्तों का पालन किया जा रहा है.

सहायक कंपनीओं द्वारा लाभप्रदता, संग्रह दक्षता और आस्ति गुणवत्ता के लिए एक प्रमाणपत्र तिमाही आधार पर साझा किया जाना चाहिए.

NABARD will have the right to cause special audit of the books of accounts and other relevant material either by itself or through other agencies (at borrowing entity's cost) to ensure that same are maintained as per the rules and regulations in force and the terms and conditions of refinance are adhered to by the bank.

NABARD would have the right to conduct spot verification / checks either by itself or through other agencies to ensure that the terms and conditions of refinance are adhered to.

A certificate for profitability, collection efficiency and asset quality should be shared on quarterly basis.





अनुबंध Annexure

विविध ऋण उत्पादों के तहत शामिल गतिविधियों की सूची LIST OF ACTIVITIES COVERED UNDER VARIOUS LOAN PRODUCTS

दीर्घावधि पुनर्वित्त Long Term Refinance

1.1 बल क्षेत्र Thrust Areas

पुनर्वित्त को जारी करने में जिन बल क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी, उनमे शामिल हैं: Thrust areas for which preference will be given for release of refinance include:

भूमि विकास, लघु और सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण और जल संरक्षण के संसाधन, मत्स्यपालन, पशुपालन, स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह/ रायतु मित्र समूह (आरएमजी), किसान उत्पादक संगठन, कृषि क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र, ग्रामीण आवासन, कृषि प्रसंस्करण, बंजर भूमि विकास, शुष्क भूमि कृषि, ठेका खेती, क्षेत्र विकास योजनाएँ, बागान और बागबानी, कृषि-वानिकी, बीज उत्पादन, ऊतक संवर्धन प्लांट उत्पादन, कृषि-विपणन आधारभूत संरचना (कोल्ड स्टोरेज़, गोदाम, बाजार केंद्र आदि सहित) कृषि औज़ार, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके वाटरशेड और आदिवासी विकास कार्यक्रमों के इलाकों में वित्तपोषण.

Land development, minor & micro irrigation, water saving and water conservation devices, fisheries, animal husbandry, SHGs / JLGs/ Rythu Mithra Groups (RMGs), FPOs, agri-clinics and agri-business centres, rural housing, agro-processing, wasteland development, dryland farming, contract farming, area development schemes, plantation & horticulture, agro-forestry, seed production, tissue culture plant production, agri-marketing infrastructure (including cold storage, godowns, market yards etc.), agriculture implements, non-conventional energy sources, financing in areas of watershed & tribal development programmes already implemented.





1.2 स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के तहत शामिल गतिविधियाँ Activities covered under Automatic Refinance Facility

1.2.1 कृषि क्षेत्र Farm Sector

(i)	भूमि विकास
	Land development
(ii)	लघु और सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई
	Minor & micro irrigation, drip irrigation
(iii)	जल बचाव और जल संरक्षण उपकरण
	Water saving and water conservation devices
(iv)	डेयरी
	Dairy
(v)	मुर्गी पालन
	Poultry
(vi)	मधुमक्खी पालन
	Beekeeping
(vii)	रेशम उत्पादन
	Sericulture
(viii)	मत्स्यपालन
	Fisheries
(ix)	पशुपालन
	Animal husbandry
(x)	स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों/ रायतु मित्र समूहों को दिए गए ऋण
	Loans to Self Help Groups / Joint Liability Groups / Rythu Mitra Groups
(xi)	शुष्क भूमि कृषि
	Dryland farming
(xii)	ठेका खेती
	Contract farming
(xiii)	बागान और बागवानी
	Plantation & horticulture
(xiv)	कृषि वानिकी
	Agro-forestry
(xv)	बीज उत्पादन
	Seed production
(xvi)	टिश्यू कल्चर प्लांट प्रोडक्शन
	Tissue culture plant production





(xvii) कृषि और संबद्ध गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े कॉर्पोरेट किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों, किसानों की एकल कंपनियों, साझेदारी फ़र्मों और किसानों की सहकारी संस्थाओं और कृषक सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता ₹2 करोड़ की सीमा तक के ऋण

> Loans to corporate farmers, farmers' producer organizations/ companies of individual farmers, partnership firms and co-operatives of farmers directly engaged in Agriculture and Allied Activities, up to an aggregate limit of ₹2 crore per borrower

- (xviii) कृषि उपकरण Agriculture implements
- (xix) नियंत्रित परिस्थितियों अर्थात् पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस में उच्च मूल्य /विदेशी प्रजातियों की सब्जियों कट फ्लावर्स का उत्पादन

Production of high value / exotic vegetables, cut flowers under controlled conditions i.e. poly house / green house,

 (xx) सब्जियों और फलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशरूम, टिश्यू कल्चर लैब, प्रिसीज़न फ़ार्मिंग जैसे हाई टेक-निर्यातोन्मुख उत्पादन इकाईयों की स्थापना.
 Establishment of hi-tech export oriented production like mushroom, tissue culture labs, precision farming for enhancement of productivity in vegetables and fruits.

1.2.2 अन्य गतिविधियाँ

Other Activities

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के सूक्ष्म, लघु (i) और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) MSME for both manufacturing and service, that creates employment in rural areas कृषि क्लिनिक्स व कृषि व्यवसाय केन्द्र (ii) Agri-clinics and Agri-business centres वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्ट-अप्स जो एमएसएमई. (iii) कृषि और संबद्ध सेवाओं में कार्यरत हैं. Start-ups, as per definition of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India that are engaged in MSME, agriculture and allied services ग्रामीण आवास (iv)Rural housing वाणिज्यिक वाहन (v) **Commercial Vehicles** कृषि प्रसंस्करण (vi) Agro-processing





(vii)	मृदा संरक्षण और वाटरशेड विकास
	Soil conservation and watershed development.
(viii)	कृषि विपणन आधारभूत संरचना (शीत भंडारण, गोदाम, बाजार केंद्र, सिलोस आदि
	सहित) चाहे जहाँ भी स्थित हो
	Agri-marketing infrastructure (including cold storage, warehouse,
	godowns, market yards, silos etc.) irrespective of their location
(ix)	गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोत
	Non-conventional energy sources
(x)	पहले से ही कार्यान्वित किए गए वाटर शेड और जनजाति विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में
	वित्तपोषण
	Financing in areas of watershed & tribal development programmes
(;)	already implemented. प्लांट टिशू कल्चर और कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बीज उत्पादन, जैव कीटनाशक, जैव
(xi)	रतीट गटरी फेल्पर और पृगंध और प्राधानका, बाज उत्पादन, जेप फोटनाराक, जेप उर्वरक का उत्पादन और वर्मी कम्पोस्टिंग.
	Plant tissue culture and agri-biotechnology, seed production, production
	of bio-pesticides, bio-fertilizer, and vermi composting.
(xii)	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और बड़े
()	आकार की आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों (एलएएमपीएस) का कृषि क्षेत्र में आगे
	ऋण देने के लिए बैंक ऋण
	Bank loans to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Farmers'
	Service Societies (FSS) and Large-sized Adivasi Multipurpose Societies
	(LAMPS) for on-lending to agriculture.
(xiii)	कृषि क्षेत्र में आगे ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं - सूक्ष्म वित्तीय
	संस्थानों को मंजूर ऋण
	Loans sanctioned by banks to NBFC-MFIs for on-lending to agriculture
	sector
(xiv)	केवीआई (खादी ग्रामोद्योग) VXVI (Vib adi Villa on Industrias)
(177)	KVI (Khadi Village Industries) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्यालय, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता की सुविधाएँ और अन्य
(xv)	सामाजिक आधारभूत सुविधाएँ
	Rural Schools, health care facility, drinking water facility, sanitation
	facility and other Social infrastructure in rural areas
(xvi)	नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर आधारित ऊर्जा जेनेरेटर, बायोमास आधारित ऊर्जा
()	जेनेरेटर, पवन चक्कियाँ, सूक्ष्म हाईडेल परियोजनाएँ और गैरपारंपरिक ऊर्जा आधारित
	सार्वजनिक जन सुविधाएँ जैसे सड़क प्रकाश व्यवस्था और दूर दराज के गांवों का
	विद्युतीकरण
	Renewable energy like solar based power generators, biomass based
	power generators, wind mills, micro-hydel plants and for non-

💽 🔽 🦸 / nabardonline





conventional energy based public utilities viz. street lighting systems, and remote village electrification

(xvii) ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के लिए एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना; बंजर / परती भूमि पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर स्टिल्ट फैशन में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

> Installation of stand-alone Solar Agriculture Pumps and for solarisation of grid connected Agriculture Pumps; installation of solar power plants on barren/fallow land or in stilt fashion on agriculture land owned by farmer.

(xviii) जैव ईंधन के उत्पादन के लिए तेल निष्कर्षण/प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, उनके
 भंडारण और वितरण के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उद्यमियों को कोंप्रेस्ड बायो गैस
 (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण

Construction of oil extraction/ processing units for production of biofuels, their storage and distribution infrastructure along with loans to entrepreneurs for setting up Compressed Bio Gas (CBG) plants

(xix) व्यक्तियों, संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंधित कस्टम हायरिंग इकाइयाँ जो ट्रैक्टर, बुलडोजर, कुएँ की बोरिंग के उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन आदि रखती हैं और अनुबंध के आधार पर किसानों के लिए कृषि कार्य करती हैं

> Custom hiring Units managed by individuals, institutions or organizations who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well-boring equipment, threshers, combines, etc., and undertake farm work for farmers on contract basis

- (xxi) क्षेत्र विकास योजनाएँ

Area development schemes

(xxii) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के उत्पादन के विपणन और निविष्टियों की आपूर्ति में विकेंद्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने वाली संस्थाओं को ऋण

Loans to entities involved in assisting the decentralized sector in the supply of inputs and marketing of output of artisans, village and cottage industries

(xxiii) पूर्व-निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने वाले एफपीओ/एफपीसी को प्रति उधारकर्ता इकाई ₹5 करोड़ तक का ऋण

Loans up to ₹5 crore per borrowing entity to FPOs/FPCs undertaking farming with assured marketing of their produce at a pre-determined price

(xxiv) बैंकिंग प्रणाली से कृषि आधारभूत संरचना हेतु ऋण जो प्रति उधारकर्ता मंजूर की गई
 ₹100 करोड की कृल सीमा के अधीन हैं

गाँव बढे >>तो देश बढे





(xxv)	Loans for agriculture infrastructure subject to an aggregate sanctioned limit of ₹100 crore per borrower from the banking system सदस्यों की उपज की खरीद के लिए किसानों की सहकारी समितियों को ₹5 करोड़ तक
	का ऋण
	Loans up to ₹5 crore to co-operative societies of farmers for purchase of
	the produce of members
(xxvi)	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार, कृषि और संबद्ध
	सेवाओं में लगे स्टार्ट-अप को ₹50 करोड़ तक का ऋण
	Loans up to ₹50 crore to Start-ups, as per definition of Ministry of
	Commerce and Industry, Govt. of India that are engaged in agriculture
	and allied services
(xxvii)	बैंकिंग प्रणाली से खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण हेतु ऋण जो प्रति उधारकर्ता मंजूर की गई
	₹100 करोड़ की कुल सीमा के अधीन हैं
	Loans for Food and Agro-processing up to an aggregate sanctioned limit
	of ₹100 crore per borrower from the banking system
(xxviii)	भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र मास्टर दिशानिर्देशों के अनुबंध III के अनुसार
	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत अनुमत गतिविधियाँ
	Permissible Activities under Food Processing Sector as per Annexure III
	of Priority Sector Master Directions of RBI.

कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन में सहायता प्रदान करने वाली अन्य कोई गतिविधि जिसका उल्लेख ऊपर न किया हो ,को भी शामिल किया जा सकता है.

Any other activities not mentioned above may also be covered if it facilitates the promotion of agriculture and rural development.